राजस्थान–सरकार

ायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

धिकारी – कृष्णपाल सिंह चौहान, आर.ए.एस.

ख्या – 244/18

राजेन्द्र प्रसाद s/o श्री कैलाराम तेली निवासी- मेजा तहसील-माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

नन्दलाल s/o हीरा जनाई निवासी-मेजा तहसील-माण्डल [वगैरा]

[पृष्ठांकित प्रा०पत्र मिसल्वजर्ट]

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक – 19.3.19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर न किया कि ग्राम मेजा पटवार हलका मेजा तहसील माण्डल में खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 2757/1990, 2758/1994 कुल 02 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के आराजी मुतदावियां के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। ने प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 3.12.18 को पंजीबद्ध किया जाकर न को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से रगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को ते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

= आदेश =

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम उक्त पटवार हलका उक्त तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते आराजी नं. उक्त कुल कित उक्त रकबा उक्त बीघा उक्त बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये ने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मेजा को 300/– रूपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर मा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को नाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी हीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि – तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल